शिव दयाल गुप्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

13 दिसंबर, 2005

[एच. के. सेमा और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

न्यायपालिका- उच्च न्यायिक सेवा - अनिवार्य सेवानिवृत्ति- अपीलार्थी, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-राजस्थान उच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए, जिसे पूर्ण न्यायालय-समीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें पाया गया कि अपीलार्थी का पद पर बने रहना एक दायित्व और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर आरोप लगाते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर जनहित याचिका के प्रतिकूल होगा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश मामले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद पारित किया गया था क्योंकि यह एसीआर और अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित था-इसके अलावा, अपीलार्थी

ने कभी भी दुर्भावनापूर्ण या गैर-न्यायिक होने का कोई आरोप नहीं लगाया।

अपीलार्थी राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का पद संभाल रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसे पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। समीक्षा समिति ने पाया कि अपीलार्थी का बने रहना एक दायित्व और जनहित के लिए प्रतिकूल होगा और तदनुसार सिफारिश की कि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर हमला किया। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष रखे गए सभी अभिलेखों को देखने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहाः

1. ए.सी.आर. के समग्र अवलोकन और अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, चार वरिष्ठ न्यायाधीशों वाली समीक्षा समिति ने पाया कि अधिकारी का बने रहना विभाग

के लिए दायित्व होगा और जनहित के लिए प्रतिकूल होगा और सिफारिश की कि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। समीक्षा समिति की सिफारिशों को पूर्ण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।[734-ई]

2. इसके अलावा, या तो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने कभी भी दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया और न ही उक्त आदेश को बिना सोचे समझे पारित किया गया है। वास्तव में, सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नियुक्ति प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी का सेवा में बने रहना जनहित के लिए एक दायित्व होगा और प्राधिकरण के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर मामले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद आदेश पारित किया।[734-एफ]

भाईकुंथा नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ब्रैपदा और अन्य, [1992] 2 एस.सी.सी. 299; गुजरात राज्य बनाम उम्मेदभाई एम. पटेल, [2001] 3 एस.सी.सी. 314; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विनय कुमार जैन, [2002] 3 एस.सी.सी. 641 और उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम लालसा राम, [2001] 3 एस.सी.सी. 389, विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2002 की सिविल अपील सं. 5397/2002

D.B.C.W.P. सं. 1614/2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.5.2002 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से एम.आर. कल्ला और सुश्री रचना श्रीवास्तव। उत्तरदाताओं के लिए सुनील कुमार जैन, एस. बोरठाकुर, अरुणेश्वर गुप्ता और नवीन सिंह।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

एच. के. सेमा, जे.

संबंधित समय में अपीलार्थी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा) का पद धारण कर रहा था। 9.11.2000 दिनांकित एक आदेश द्वारा, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से आदेश पर हमला किया है।राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष रखे गए सभी अभिलेखों को देखने के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपीलार्थी को उच्च

न्यायालय के चार वरिष्ठ माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। जिसे उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

हमें उच्च न्यायालय के पूरे फैसले के माध्यम से लिया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया कि वर्ष 1983 में अपीलार्थी को अच्छा अधिकारी नहीं माना गया था और उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी। 1984 में उन्हें भ्रष्ट अधिकारी बताया गया था। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि जब अपीलार्थी को चयन श्रेणी दी गई है, तो प्रतिकूल प्रविष्टियों को प्राधिकरण के ध्यान में नहीं लाया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि उच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ माननीय न्यायाधीशों की समीक्षा समिति ने देखा कि अपीलार्थी का प्रदर्शन खराब था और उन्हें अपने निर्णय लेखन में सुधार करने की सलाह दी गई थी, 1974 में एक टिप्पणी थी कि उन पर नजर रखी जानी चाहिए और मामले के काम की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई थी। टिप्पणी के बारे में अपीलार्थी को भी सूचित किया गया था। 1977 में एक प्रविष्टि भी थी कि उन्हें

अपने निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। 1983 में उन्हें अच्छे अधिकारी के रूप में नहीं आंका गया और उनकी ईमानदारी संदिग्ध पाई गई।प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ उनका प्रतिनिधित्व परिलक्षित हुआ।1993 में उनके ए.सी.आर. में एक प्रविष्टि थी कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों और वकीलों में विश्वास पैदा करने में विफल रहे और उनका निपटान भी कम पाया गया। समीक्षा समिति ने यह भी नोट किया कि उन्हें 1983 में पदोन्नति के लिए विचार किए बिना हटा दिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच दर्ज की गई है, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही और घोर लापरवाही का निष्कर्ष निकाला गया है, जो उस पर लगाए गए निंदा के मामूली दंड में समाप्त हुआ और उसे अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी दी गई।

ए.सी.आर. के समग्र अवलोकन और अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, चार वरिष्ठ न्यायाधीशों वाली समीक्षा समिति ने पाया कि अधिकारी का बने रहना विभाग

के लिए दायित्व होगा और जनहित के लिए प्रतिकूल होगा और सिफारिश की कि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि 8 नवंबर, 2000 को आयोजित एक बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा समीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। यह वास्तव में मृत लकड़ी को काटने का मामला है।

इसके अलावा, या तो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने कभी भी दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया और न ही उक्त आदेश को बिना सोचे समझे पारित किया गया है। वास्तव में, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नियुक्ति प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी का सेवा में बने रहना लोक हित के लिए एक दायित्व होगा और प्राधिकरण के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर मामले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद आदेश पारित किया।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने 1 में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया। [1992] 2 एस.सी.सी. 299 (भाईकुंथा नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ब्रैपदा और अन्य) 2. [2001] 3 एस.सी.सी. 341 (गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम.

पटेल,) 3. [2002] 3 एस.सी.सी. 641 (उत्तर प्रदेश राज्य और ए.एन.आर. बनाम विनय कुमार जैन) और 4.[2001] 3 एस.सी.सी. 389 (उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम लालसा राम।)

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलें, हमारे विचार में, ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विचार के योग्य नहीं हैं।

परिणामस्वरूप, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

बी.बी.बी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।